जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

D–160

यह विलेख आज वर्ष 2019 के माह 02 के 20वे दिन *जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **मैसर्स आशियाना मंगलम बिल्डर्स जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नरेन्द्र सिंह जाति –राजपूत, व्यावसाय – सर्विस, पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 4 व 5, थर्ड फलोर, प्लाट नं. डी–2, साउर्थन पार्क, साकेत जिला सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110071 एवं स्थानीय कार्यालय तीसरी मंजिल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर** (जिनकों इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **"गुलमोहर गार्डन्स् विस्तार द्वितीय" ग्राम –मानपुर भाटावाला, तहसील –सांगानेर, जिला –जयपुर, राजस्थान** के खसरा/भूखण्ड संख्या **S - 06** क्षेत्रफल 5000.00 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शें में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये .... अंके............ ....मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारिय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुये, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर. 471/– रूपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि 28171/– रूपये देय होती है जो चालान नं. 608284 दिनांक 20/12/18 से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश कमांक : एफ–9(15)यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 7562/– रूपये होती है, जो चालान नं. 608284 दिनांक 20/12/18 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विकय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
4. पटटे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल ..ग्रुप हाउसिंग.. प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगें।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विकय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

10. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि, या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी./एस.बी.आई. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बधंक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नामः तह० सांगानेर
राजस्व ग्रामः **मानपुर भाटावाला**
खसरा नम्बरः **208,209,210,279,280,281**
योजना का नामः **गुलमोहर गार्डन्स् विस्तार द्वितीय**.
विस्तृत का नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ वर्गमीटर 5.00 वर्गमी०

पूर्व........ पश्चिम........ भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो **S- 06** सीमा उत्तर........ दक्षिण........ मानचित्र संलग्न है।

नोटः– इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रूपये 3779/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रू. 200+50 के नं. 17750-51 के कुल संख्या 3 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये गये है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर सेः–
आज सन् 2019 के माह 02 के 20 वें दिन
श्री .... ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

जयपुर विकास प्राधिकरण–प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षीः–

1. नाम मदन लाल राणा
   पुत्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
   व्यवसाय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
   निवास स्थान ....

साक्षी

2. नाम ....
   पुत्र (नरेश कुमार शर्मा)
   व्यवसाय पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
   निवास स्थान (क० सहायक), जे० वि० प्रा०, जयपुर

साक्षी

आज ....सन् 2019 के माह ....के .... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त **मैसर्स आशियाना मंगलम् बिल्डर्स जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता नरेन्द्र सिंह** लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण में हस्ताक्षर किये गये।

For Ashiana Mangalam Builders
लीजधारक
Authorised Signatory

साक्षीः– चन्द्र निवान

1. नाम ....
   पुत्र ....
   व्यवसाय **401, Third Floor, Apex Mall**
   निवास स्थान **Tonk Road, Lal Kothi Area**
   JAIPUR (Rajasthan)
   PIN 302015
   Ph.: +91 141 413 99 99

साक्षी

2. नाम कमल शर्मा
   पुत्र ....
   व्यवसाय **401, Third Floor, Apex Mall**
   निवास स्थान **Tonk Road, Lal Kothi Area**
   JAIPUR (Rajasthan)
   PIN 302015
   Ph.: +91 141 413 99 99

Kamal Sharma
साक्षी

SITE PLAN OF SHOP NO. S -06

SCHEME -GULMOHAR GARDENS EXT.-II

VILLAGE - MANPUR BHATAWALA TEH.-SANGANER
VATIKA ROAD,JAIPUR

AREA - 5.00 SQ.MT.

SCALE - 1CM=1.0M

AS PER TOWNSHIP POLICY 2010

N

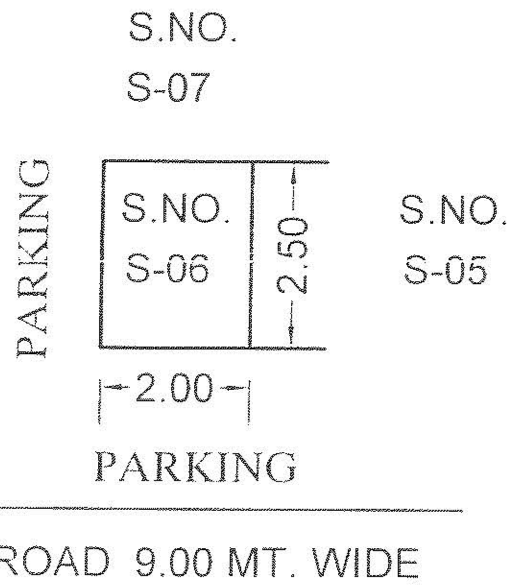

SITE ENGINEER
ZONE - 14

A.T.P.
ZONE - 14

DY. COMMISSIONER
ZONE - 14

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY,JAIPUR.

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/03/2019 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1093 में
पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 201903015101666 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4366 के
पृष्ठ संख्या 1 से 13 पर चस्पा किया गया ।

201901015001970

उप पंजीयक, JAIPUR-I

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

---

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0028775754** | Payment Date: **04/03/2019 12:04:00**

Office Name: **SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR**
Location: JAIPUR (SECTT.)
Period: 01/04/2018-To-31/03/2019

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	93.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	93.00
3	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	200.00
4	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	226.00
5	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	927.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	1539.00

One Thousand Five Hundred Thirty Nine Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **ASHIANA MANGLAM BUILDERS**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable): AAVFA7240H	City(Pincode): JAIPUR(302015)
Address:3RD, FLOOR APEX MALL, TONK ROAD, JAIPUR	Remarks:LEASE DEED JDA PATTA - SHOP.NO.S-06 GULMOHAR GARDENS EXTENSION - II GRAM MANPUR BHATAWALA TEH. SANGANER, JAIPUR

Payment Details:

Bank: SBIePAY(Credit/Debit Cards)	Challan No. - **0**
	Bank CIN No: **10001322019030400161**
Date: 04/03/2019 12:04:00	Refrence No: **0794042355216**

Computer generated copy on : *04/03/2019* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

उप पंजीयक
जयपुर प्रथम

भारत INDIA

SPECIAL ADHESIVE

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

निम्न आवंटी को योजना गुलमोहर गार्डन विस्तार II
के भूखण्ड संख्या S-06 क्षेत्रफल 5.009 मी.
की लीज डीड हेतु .... रु. के
स्टाम्प संलग्न है। 200/50

उपायुक्त (जोन-14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर प्रथम

17731 8-2-19

क्र. सं............ दिनांक..........

मुद्रांक का मूल्य [illegible]

क्रेता का नाम..........

पिता पति का नाम..........

निवास स्थान..........

वास्ते..........

संजीव मोदी पक्का [illegible]

स्टाम्प विक्रेता ला.न. 55/2010-11

कले.परिसर जयपुर

[illegible] नियम 1958 [illegible] नागरिक

[illegible] पर प्रमाणित [illegible]

[illegible]

[illegible] राजस्थान [illegible]

SPECIAL ADHESIVE

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

[illegible] योजना गुल मोहर गार्डन्स विस्तार II
[illegible] 5.06 हेक्टर 5.000 [illegible]
[illegible] रु. के
[illegible] 200+50

उपायुक्त (जोन–14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर प्रथम

17732 8-2-19

क्र. सं.............. दिनांक..............

मुद्रांक का मूल्य 100..............

क्रेता का नाम..............

पिता पति का नाम..............

निवास स्थान..............

वास्ते..............

रंजीत लवचकड

स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 55/2010-11

ज.वि.प्रा. परिसर जयपुर

... 1998 के अन्तर्गत

[illegible]

SPECIAL ADHESIVE

04 FEB

निजी खातेदारी की योजना गुल मोहर गार्डन्स विस्तार II
के भूखण्ड संख्या 5-06 क्षेत्रफल 5-009 मीटर
की लीज राशि हेतु ....रु. के
चालान संलग्न है। 200+50

उपायुक्त (जोन-14)
ज. वि. प्रा., जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर प्रथम

17751 8-2-19

क्र. सं. .... दिनांक ....

मुद्रांक का मूल्य ....

क्रेता का नाम ....

पिता पति का नाम ....

निवास स्थान ....

वास्ते ....

राजीव मक्कड
स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 55/2010-1
न्या.नि.प्रा. परिसर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के ... अधीन
... पर प्रभारित अधिभार

1 ... सुविधाओं हेतु
(धारा 3-क)-10% रुपये ....

2 ... के संरक्षण और संवर्धन हेतु
(धारा 3-ख)-10% रुपये ....

कुल राशि

Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 03 सन् 2019 को 11:45 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री NARENDER SINGH AS AUTHORISED SIGNATORY ASHIANA MANGLAM BUILDERS पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PRATAP SINGH
उम्र 43 वर्ष, जाति RAJPUT , व्यवसाय Service
निवासी House No.:3RD FLOOR, Colony: LAL KOTHI, Area: APEX MALL, TONK ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302015, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201901015001970

हस्ताक्षर पंजीयक, JAIPUR

उप पंजीयक जयपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201902015001930
दिनांक	04-03-2019
पंजीयन शुल्क ₹	226
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1127
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	226
कुल योग	1779

201901015001970

उप पंजीयक JAIPUR

उप पंजीयक जयपुर प्रथम

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री NARENDER SINGH AS AUTHORISED SIGNATORY ASHIANA MANGLAM BUILDERS, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PRATAP SINGH, व्यवसाय Serviceजाति RAJPUT House No.:3RD FLOOR, Colony: LAL KOTHI, Area: APEX MALL, TONK ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302015, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 43 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री JDA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIPUR, व्यवसाय जाति Jaipur Development Authority			Claimant Age : 0 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 2817/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 2817/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GAJENDRA SINGH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री OM SINGH जाति HINDU Age: 33 Add: House No.:3RD FLOOR, Colony: LAL KOTHI, Area: APEX MALL, TONK ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302015, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201901015001970

उप पंजीयक JAIPUR-I
जयपुर प्रथम

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/03/2019 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1093 में

पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 201903015101666 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4366 के

पृष्ठ संख्या 1 से 13 पर चस्पा किया गया ।

201901015001970

उप पंजीयक JAIPUR-I

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for Commercial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-03-2019 12:48 PM

Fee Receipt No	:	201902015001930	Receipt Date	:	04/03/2019
Name	:	NARENDER SINGH AS AUTHORISED SIGNATORY ASHIANA MANGLAM BUILDERS,	Document S. No.	:	201901015001970
Address	:	3RD FLOOR ,LAL KOTHI ,JAIPUR ,JAIPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 2817	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 226	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 226	Stamp Duty	:	₹ 1127
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 1779
			Total Amount	:	₹ 1779

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 26775754 ₹ 1539 # Stamp N.A. ₹ 240

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt